



न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन)
COURT OF STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES
समाज कल्याण विभाग/Social Welfare Department
बिहार सरकार/Government of Bihar

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0/05 (प्र0सं0)/2019

35/आ.नि.११

दिनांक/.....जनवरी/2021

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

- (1) अनुमण्डल पदाधिकारी,
पटना सिटी अनुमण्डल।
- (2) सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (पटना सिटी अनुमण्डल अन्तर्गत)

विषय :-

दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत पटना सिटी अनुमण्डल हेतु गठित अनुमण्डल स्तरीय समिति के सम्बन्ध में अनुमण्डल स्तरीय व अनुमण्डल शामिल विविध प्रखण्डों के प्रखण्ड स्तरीय विविध क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई के लिए पटना प्रमण्डल हेतु आयोजित ऑनलाईन ई-कोर्ट के दौरान पटना सिटी अनुमण्डल से सम्बन्धित मामलों की स्थलीय समीक्षा का आयोजन के सम्बन्ध में।

प्रसंग :-

इस कार्यालय का पत्र सं0-581/आ0नि0को0 दि0-28.02.2020 (प्रति संलग्न), पत्र सं0-744/आ0नि0को0 दि0-24.03.2020 एवं पत्र सं0-1161/आ0नि0को0 दि0-28.08.2020

महाशय,

उक्त विषय एवं प्रसंग के सम्बन्ध में कहना है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत पटना सिटी अनुमण्डल हेतु गठित अनुमण्डल स्तरीय समिति के सम्बन्ध में अनुमण्डल स्तरीय व अनुमण्डल शामिल विविध प्रखण्डों के प्रखण्ड स्तरीय विविध क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई के लिए पटना प्रमण्डल हेतु आयोजित ऑनलाईन ई-कोर्ट के दौरान पटना सिटी अनुमण्डल से सम्बन्धित मामलों की स्थलीय समीक्षा का आयोजन किया जाना है। समीक्षात्मक बैठक की कार्यसूची में निम्न विषय शामिल होंगे :-

- (1) दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत पटना सिटी अनुमण्डल के सम्बन्ध में अनुमण्डल स्तरीय समिति के गठन व कार्यों की समीक्षा।

इस बैठक में संबंधित पदाधिकारी अनुमण्डल स्थित विविध प्रखण्डों व पंचायतों हेतु गठित प्रखण्ड स्तरीय समिति व पंचायत स्तरीय समिति के गठन/कार्य संबंधी प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहेंगे।

- (2) न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा पटना प्रमण्डल के संबंध में आयोजित ऑनलाईन ई-कोर्ट के दौरान पटना सिटी अनुमण्डल के संबंध में सुनवाई किए गए मामलों के कार्यान्वयन की समीक्षा।

इस सम्बन्ध में पटना जिले से संबंधित सुनवाई किए गए मामलों की विवरण (वाद संख्या व अन्य विवरण सहित) संलग्न है। पटना अनुमण्डल से संबंधित वाद निम्नानुरूप है :-

2279/2020	2280/2020	2325/2020	2335/2020	2338/2020	2339/2020
2340/2020	2341/2020	2342/2020	2345/2020	2360/2020	2361/2020
2362/2020	2377/2020	2378/2020	2379/2020	2380/2020	2381/2020
2382/2020	2383/2020	2386/2020	2388/2020	2390/2020	2391/2020
2393/2020	2397/2020	2401/2020	2404/2020	2406/2020	2428/2020
2434/2020	2438/2020	2439/2020	2440/2020	----	----

१०५०३०.....

Sant

(2)


विदित हो कि इस पटना प्रमण्डल हेतु आयोजित ई-कोर्ट के दौरान यह शिकायत की गई थी कि पटना सिटी अनुमण्डल के सम्बन्ध में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत विविध त्रिस्तरीय समितियों का गठन नहीं किया गया है।

राज्य आयुक्त निःशक्तता की कार्यक्रम विवरणी

क्र० सं०	तिथि	आगमन/ प्रस्थान/ समय सारणी	कार्यक्रम	भागीदारी	कार्यक्रम स्थल	नोडल पदाधिकारी/ अभ्युक्ति
1.	22/01/2021	12:00 PM से 02:00 PM बजे तक	पटना सिटी अनुमण्डल एवं अनुमण्डल अन्तर्गत सभी प्रखण्डों : फतुहा, दनियावा एवं खुशरूपूर में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तरीय समिति के कार्यों से सम्बन्धित समीक्षात्मक बैठक	अनुमण्डल स्तर के समीक्षा बैठक में अनुमण्डल पदाधिकारी/निगम आयुक्त, केन्द्रीय प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के प्रतिनिधि रूप में, कार्यपालक पदाधिकारी, अनुमण्डल स्तरीय चिकित्सा पदाधिकारी, एस0डी0पी0ओ0 एवं शिक्षा, परिवहन, पथ निर्माण, भवन/स्थायी निर्माण, क्षेत्र के अनुमण्डल स्तरीय पदाधिकारी, अस्थि दिव्यांगजन विशेषज्ञ, श्रवण एवं वाणी (भाषा) विशेषज्ञ, नेत्र/दृष्टिबाधित विशेषज्ञ, मानसिक रूग्ण/बौद्धिक दिव्यांगता विशेषज्ञ एवं दिव्यांग तथा अनुमण्डल स्तर के दिव्यांगजन उपस्थित होंगे।	अनुमण्डल/ बुनियाद केन्द्र सभाकक्ष	अनुमण्डल पदाधिकारी
		02:30 PM	भोजनावकाश			
		03:00 PM से 04:00 PM बजे	पटना सिटी अनुमण्डल अन्तर्गत प्रखण्डों का चलन्त न्यायालय कार्यक्रम की तैयारी हेतु बैठक	अनुमण्डल/प्रखण्ड के पदाधिकारियों के साथ	पंचायत/प्रखण्ड	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
2.	23/01/2021	10:00 AM से 03:00 PM बजे तक	अनुमण्डल अन्तर्गत सभी प्रखण्डों : फतुहा, दनियावा एवं खुशरूपूर में दिव्यांगजनों के परिवादों की सुनवाई हेतु चलन्त न्यायालय का आयोजन	(1) फतुहा प्रखण्ड के दिव्यांगजन (2) दनियावा प्रखण्ड के दिव्यांगजन (3) खुशरूपूर प्रखण्ड के दिव्यांगजन	अपने-अपने प्रखण्ड परिसर	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ सी0डी0पी0ओ0

अनुमण्डल स्तर की समीक्षा बैठक में अनुमण्डल पदाधिकारी/निगम आयुक्त, केन्द्रीय प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के प्रतिनिधि रूप में, कार्यपालक पदाधिकारी, अनुमण्डल स्तरीय चिकित्सा पदाधिकारी, एस0डी0पी0ओ0 एवं शिक्षा, परिवहन, पथ निर्माण, भवन/स्थायी निर्माण, क्षेत्र के अनुमण्डल स्तरीय पदाधिकारी एवं दिव्यांग तथा अनुमण्डल स्तर का दिव्यांगजन भाग लेंगे। अनुमण्डल स्तर की समीक्षा बैठक में जमुई, सिकन्दरा, खैरा, चकाई, सोनो, लक्ष्मीपुर, झांझा, बरहाट, गिद्धौर एवं इस्लामनगर अलीगंज के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने साथ पंचायत स्तर का प्रपत्र-1 एवं प्रखण्ड स्तर का प्रपत्र-2 लायेंगे और साथ ही साथ पंचायत/प्रखण्ड स्तर पर चुने गए दिव्यांगजन प्रतिनिधि को भी साथ लायेंगे। सुलभ प्रसंग हेतु पंचायत स्तर का प्रपत्र-1 एवं प्रखण्ड स्तर का प्रपत्र-2 संलग्न है।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का कार्य दायित्व सौंपा गया है। (राज्य आयुक्त के कृत्य) की उप धारा 80 (ख) में प्रावधान है कि राज्य आयुक्त स्वप्रेरणा से या अन्यथा निःशक्त व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के सम्बन्ध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षापायों की जाँच करेगा, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठाएगा। इस कार्य दायित्व के निर्वहन के लिए अधिनियम की धारा-82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए वही शक्तियाँ होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी न्यायालय में निहित होती है।

कृ०प०३०.....


अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी से अनुरोध है कि राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना राज्य सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत पटना सिटी अनुमण्डल हेतु गठित अनुमण्डल स्तरीय समिति के सम्बन्ध में अनुमण्डल स्तरीय व अनुमण्डल शामिल विविध प्रखण्डों के प्रखण्ड स्तरीय विविध क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत दिव्यांगजन समूहों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा का आयोजन में सहयोग हेतु राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना के लिए नयाचार पदाधिकारी (प्रोटोकॉल ऑफिसर) नामित करने के साथ-साथ इनकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु निदेशित करने की कृपा की जाए।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन
11.01.21
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0/05 (प्र0स0)/2019

35/आ-1991
प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत पटना सिटी अनुमण्डल हेतु गठित अनुमण्डल स्तरीय समिति के सम्बन्ध में अनुमण्डल स्तरीय व अनुमण्डल शामिल विविध प्रखण्डों के प्रखण्ड स्तरीय विविध क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक में सहयोग हेतु सम्बन्धित पदाधिकारियों को ससमय भाग लेने हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय।

दिनांक-11/01/21
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0/05 (प्र0स0)/2019

35/आ-1991
प्रतिलिपि:-सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक-11/01/21
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0/05 (प्र0स0)/2019

35/आ-1991
प्रतिलिपि:-जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं आई0सी0डी0एस, पटना को प्रखण्ड चलन्त न्यायालय की तैयारी के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक-11/01/21
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0/05 (प्र0स0)/2019

35/आ-1991
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक-11/01/21
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।